

प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17-

राज्य सरकार की सिफारिश:

(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या

भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी

द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर

विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

तिथि 01.09.2014

स्थान देहरादून /

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

(प्रभारी अधिकारी या जो)
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।